DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 19 May, 2014/ 6 Jyestha, 1936 (Saka)

No. 13

Sub:- Continuation of MLALAD Scheme when Delhi Legislative Assembly is under suspended animation and President Rule is imposed in Delhi.

As per the direction of Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly a copy of the letter No. F. 18(004)/UD/Plg./MLA/CD-021262778/1650 dated 09.05.2014 received from Secretary, Department of Urban Development, GNCT of Delhi is enclosed herewith for the information of the Hon'ble Members of Delhi Legislative Assembly regarding continuation of MLALAD Scheme.

LAL MANI
Deputy Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

सोमवार, 19 मई, 2014 / ज्येष्ठ 6, 1936 (शक)

संख्या– 13

विषयः– दिल्ली विधान सभा के निलंबन की अवधि में एवं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में एमएलए–एलएडी योजना का जारी रहना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा के आदेशानुसार, सचिव, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से एमएलए–एलएडी योजना का जारी रहने के संबंध में प्राप्त पत्र संख्या एफ. 18 (004) / यूडी / पीएलजी. / एमएलए / सीडी–021262778 / 1650 दिनांक 09.05.2014 की प्रति दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

लाल मणी
उपसचिव

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
10th FLOOR: DELHI SACHIVALYA
I. P. ESTATE: NEW DELHI-110002

F.No. 18(004)/UD/Plg/MLA/CD-021262778/ 1650 Dated: 9/5/2014

To,

The Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha
Old Secretariat
Delhi -110 054

Subject: Continuation of MLALAD Scheme when Delhi Legislative Assembly is under suspended animation and President Rule is imposed in Delhi.

Sir,

It is to inform that a question arose whether MLALAD Scheme can be continued when Delhi Legislative Assembly is under suspended animation and President Rule is imposed in Delhi. On the issue, the UD Department, which is the nodal department for implementation of MLALAD Scheme, sought opinion of Law Department, Government of NCT of Delhi and finally from Ld. Solicitor General of India. The Law Department, Government of NCT of Delhi has given the opinion to continue the Scheme, even if, President Rule is imposed in Delhi and Legislative Assembly put under suspended animation. The Solicitor General of India has also offered his opinion which is reproduced below:-

1- *The MLALAD scheme can be continued until such time the Legislative House is under Suspended Animation and neither dissolved nor the MLAs cease to be the members thereof; and*

2- *The MLAs under such circumstances can recommend work for sanction under MLALAD scheme since they are discharging their executive functions. However, they will be subject to the laws passed by Parliament during the continuance of the President's rule and also be accountable to the Lt. Governor of Delhi in the implementation of the same.*

The above opinion was placed before the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi, who had approved that MLALAD Scheme to be continued, once model code of conduct is over i.e. after 16.05.2014. It has also been desired by Hon'ble LG, that Hon'ble Speaker should be informed, who should then inform the Hon'ble MLAs in turn. It is, therefore, requested that Hon'ble MLAs of Delhi Vidhan Sabha may please be informed from your office that they can recommend works, in their respective area under MLALAD Scheme as per guidelines, as above.

Yours faithfully,

Rajendra
8/5/14

(Rajendra Kumar)
Secretary (UD)

शहरी विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
10वां तल, दिल्ली सचिवालय, आईपीएस्टेट, नई दिल्ली-2

सं.फा.18(004)/यूडी/प्ला/एमएलए/सीडी-021262778/1650 दिनांक : 09.05.2014

विषय : दिल्ली विधान सभा के निलम्बन की स्थिति एवं राष्ट्रपति शासन लागू होने पर MLALAD योजना के जारी रहने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि ज्ञात है कि उपरोक्त विषय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि जब दिल्ली विधान सभा निलंबित हो या राष्ट्रपति शासन के अधीन हो तो क्या MLALAD योजना जारी रह सकती है। इस विषय में शहरी विकास विभाग जोकि MLALAD योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है ने विधि विभाग, दिल्ली सरकार एवं भारत के माननीय सोलिसिटर जनरल (महा न्यायाभिकर्ता) से इस संबंध में सुझाव मांगे थे। विधि विभाग, दिल्ली सरकार का मत है कि उपरोक्त दोनो ही स्थितियों में MLALAD योजना जारी रखी जा सकती है।

इस सबंध में भारत के माननीय सोलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित हैं:-

1. MLALAD योजना उस समय तक जारी रखी जा सकती है जब तक कि विधान सभा निलम्बित हो और न तो उसे भंग किया गया हो और न ही उसके विधायकों की सदस्यता समाप्त की गई हो।
2. इस प्रकार की परिस्थितियों में MLALAD योजना के अन्तर्गत विधायक कार्य करने की मंजूरी हेतु सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि वे अपने कार्यकारी-कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तथापि ऐसा वे राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा पारित कानूनों के अधीन ही कर सकते हैं और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वे माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रति जवाबदेह होंगे।

उपरोक्त मत को माननीय उपराज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उन्होंने अनुमति दी कि 16.05.2014 को आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद MLALAD योजना को जारी रखा जा सकता है। माननीय उपराज्यपाल महोदय की इच्छानुसार, इस विषय को माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सूचित किया जाना चाहिए जोकि आगे माननीय विधायकों को भी तद्नुसार सूचित करें।

अत: निवेदन है कि आपके कार्यालय द्वारा दिल्ली विधान के विधायकों को सूचित किया जाए कि उपरोक्तानुसार वे MLALAD योजना के निर्देशों के अन्तर्गत अपने क्षेत्रों में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

भवदीय
ह./
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव, शहरी विकास